

जिला परिषद कार्यालय, देवघर

—: अल्प निविदा सूचना :—

देवघर जिला के तपोवन पर्यटन क्षेत्र में वाहन पड़ाव हेतु पार्किंग स्थल/ पड़ाव स्थल की वार्षिक वसूली हेतु खुली नीलामी निम्नलिखित शर्तों के साथ सम्मिलित होने हेतु सूचना आमंत्रित की जाती है।

नीलामी का स्थान – विकास भवन, देवघर के सभाकक्ष में।

तपोवन पार्किंग स्थल की विवरणी :-

1	नीलामी की न्यूनतम वार्षिक बोली :-	Rs. 5,37,600.00
2	ठेके की अवधि :-	एक वर्ष के लिए। (+ 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी कर अगले दो वर्ष के लिए अवधि विस्तार किया जा सकता है।
3	बयाना राशि (न्यूनतम बोली का 20 प्रतिशत)	Rs. 1,07,520.00
4	आवेदन – प्रपत्र का शुल्क (जो लौटाया नहीं जायेगा)	Rs. 5000.00
5	नीलामी में भाग लेने वाले आवेदन – प्रपत्र की बिक्री की तिथि (कार्यालय अवधि में) स्थान- जिला अभियन्ता का कार्यालय, जिला परिषद, देवघर।	10.08.2023 से 22.08.2023
6	नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदन जमा करने की तिथि (कार्यालय अवधि में) स्थान- विकास भवन स्थित जिला परिषद का कार्यालय, देवघर।	23.08.2023 से 31.08.2023
7	नीलामी की तिथि स्थान- विकास भवन सभागार, देवघर।	01.09.2023 पूर्वाह्न 11.00 बजे
8	वाहन पार्किंग दर	बड़ी गाड़ी 100.00 रुपये तथा छोटी गाड़ी 50.00 रुपये

(सामान्य नियम एवं शर्त जिला अभियन्ता का कार्यालय, जिला परिषद, देवघर एवं विकास भवन स्थित जिला परिषद कार्यालय, देवघर के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है)

कुम
08/08/23
उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, देवघर।

सामान्य नियम एवं शर्त :-

1. निविदा हिन्दी में या अंग्रेजी में भरा होना चाहिए तथा निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए तथा सभी प्रविष्टियों हस्तलिखित होनी चाहिए।
2. निविदा दाता को चाहिए कि वह निविदा भरने सम्बन्धी सभी आवश्यक जानकारी स्वयं के खर्च से प्राप्त करें एवं उसे स्थानीय शर्त कार्य करने के स्थान, कार्य का प्रकार तथा उससे सम्बन्धित सभी बातों से स्वयं को अवगत करा लें। क्षेत्र बाउंडरी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के विवाद को ठेका आवंटित होने के बाद विचार नहीं किया जाएगा।
3. यदि आवेदक अकेला आवेदन कर रहा हो तो पते का दस्तावेजी सबूत अर्थात् विद्युत बिल, राशन कार्ड, पैन कार्ड किराया बिल आदि साथ संलग्न होना चाहिए।
4. निविदादाता को न्यूनतम विषिक बोली का 20 प्रतिशत राशि उप विकास आयुक्त – सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, देवघर के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट के साथ निविदा दस्तावेज संलग्न करना होगा। सफल निविदादाता की बयाना राशि जमानत जमा में समाविष्ट की जाएगी और असफल निविदादाता को बयाने की राशि धनवापसी निविदा फाईनल होने के पश्चात् किया जाएगा तथा उस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि निविदा खुलने के 120 दिनों के भीतर अपना ऑफर वापस लेते हैं या निविदा की स्वीकृति के पश्चात् उसे सूचित करने के बाद बयाने की राशि पूर्णतः या आंशिक रूप से जैसे भी आवश्यक लगे जब्त किया जा सकता है।
5. निविदादाता को दूसरे वर्तमान व्यापार का भी अनुभव होना चाहिए। यदि हो तो पार्किंग या अन्य दूसरे क्षेत्रों के व्यापार के अनुभव का सबूत पेश करना चाहिए।
6. सफल निविदादाता को अन्य सुविधाएं जैसे स्टैंड, शेल्टर फेन्सिंग की व्यवस्था करनी होगी तथा अन्य सुविधाएं अपने स्वयं के खर्च से वर्तमान नीति के अनुसार करना होगा। निविदा आवंटित हो जाने पर उपर्युक्त सम्बन्धी किसी भी विवाद पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. जिस समय पार्किंग पर वाहन की चोरी, नुकसान अथवा टूट-फूट के लिए निविदादाता सम्पूर्ण रूप से जिम्मेदार होता है। वह वाहन के मालिक द्वारा नुकसान इत्यादि के लिए किये जानेवाले दावों के भुगतान/ निपटाने (सेटल) करने के लिए भी सीधे जिम्मेदार है।
8. दर सूची के अलावा अतिरिक्त शुल्क की उगाही की अनुमति नहीं है। यदि इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो वह निविदा की पैनाल्टी / फाईन / टर्मिनेशन के लिए उत्तरदायी होगा।
9. आवंटित स्थान की जगह तथा पार्किंग स्थल पर दर सूची (बोर्ड) को पार्किंग स्टैंड के प्रवेश द्वार पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए।

kn

10. सफल निविदादार्ता को ठेका प्रारम्भ करने से पूर्व जिला परिषद के साथ लिखित एकरारनामा करना होगा तथा ठेके को प्रारम्भ करने की तारीख से निर्धारित अवधि के लिए करार लागू होगा।
11. जिला परिषद को अपने स्व-विवेक पर पार्किंग की देय (राशि) को बढ़ाने/ घटाने तथा यथानुपात अथवा अन्य आधार पर ठेके की अवधि को संशोधन करने का अधिकार होगा।
12. ठेके को (Sub letting) पट्टे पर देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
13. करार को जिला परिषद के सभी देय का भुगतान करने पर बिना कोई कारण बताए (90 दिन) करने पर का नोटिस देकर एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ठेके को रद्द किया जा सकता है।
14. पार्किंग के लिए आवंटित स्थान के अलावा अन्य किसी भी स्थान पर वाहनों की पार्किंग के लिए उपयोग ना किया जाए तथा पार्किंग स्टैंड और आसपास के परिसर की साफ – सफाई एवं रख-रखाव ठेकेदार द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए वो जिम्मेवार होगा।
15. दण्ड – ठेकेदार अथवा उसके कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त किसी प्रकार की शिकायत को जिला परिषद द्वारा महत्वपूर्ण एवं वास्तविक पाए जाने पर ठेकेदार को दण्ड देना होगा। जो कि अधिकतम प्रति घटना 5000.00 रुपये तक हो सकता है। साथ ही ठेकेदार को राज्य / केन्द्र सरकार द्वारा सभी कर (जी0 एस0 टी0 सहित) देय होगा।
16. तपोवन पार्किंग स्थल हेतु एक अदद आवेदन प्राप्त होने पर निर्धारित न्यूनतम सुरक्षित राशि पर पार्किंग स्थल आवंटित किया जायेगा। आवेदन को अवशेष 80% (अस्सी प्रतिशत) राशि एक सप्ताह के अन्दर (बैंक ड्राफ्ट) के रूप में जमा करना होगा अन्यथा उनका सुरक्षित राशि जब्त कर ली जायेगी तथा निलामी की प्रक्रिया पुनः की जायेगी।
17. स्थानीय अभिकर्ता / निविदादाता को वरियता दी जायेगी।
18. पूर्व से इस तरह के कार्य करने वाले अभिकर्ता को समान दर पर बोली करने वाले पर वरियता दिया जायेगा।
19. निविदा प्रक्रिया को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास रहेगा।


08/08/23
उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, देवघर।

ज्ञापांक 739 / जि०प०, देवघर, दिनांक 08 वीं अगस्त, 2023 ई०।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। विज्ञापन को तीन समाचार पत्रों के स्थानीय संस्करण में प्रकाशित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई कि जाय।

प्रतिलिपि :- जिला अभियन्ता, जिला परिषद, देवघर अपने अधीनस्थ कनीय अभियन्ता एवं सहायक के साथ अपनी उपस्थिति में नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण करायेंगे।

प्रतिलिपि :- थाना प्रभारी, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित एवं नीलामी की तिथि दिनांक 01.09.2023 को पूर्वा० 11:00 बजे 4-1 का पुलिस बल प्रतिनियुक्त की जाय।

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष, जिला परिषद, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उपायुक्त, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित।

KM
08/08/23

उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, देवघर।